





काशीबाग,

प्रविच. प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या:- प्राविच/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

सम्बद्धता दिनांक: 09/08/2021

-कार्यालय नमूना-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली पारमैसी काउन्सिल (बीए इण्डिया, नई दिल्ली) द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु शिक्षणीय स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अर्थात् प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद काशीबाग में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजन हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण हो संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पठन/पाठ्यक्रम/प्रवेश सत्रगत वृद्धि सहित अन्य गतों पर विचार करने हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश सत्रगत हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4822-LALSA INSTITUTE OF ENGINEERING & RURAL TECHNOLOGY, VILL & POST- RATAPUR, JAKHANIYA, GHAZIPUR			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	पठन/पाठ्यक्रम/वी०सी०/आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश सत्रगत	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश सत्रगत
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पठन/पाठ्यक्रम/वी०सी०/आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एम० 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनानी 1992, संशुद्ध विनियमनानी-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों में कुल पाठ्यक्रम हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों परमैसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों परमैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-

22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सफल द्वारा निर्गत विवेक ज्ञाने कबे सम्बन्धित प्रस्तावी होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जमा आवश्यक होगा। जीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्विचारण किया जाता है, तो फीस की नवीन्यता दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (3000) प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जमा। विनियमावली-2000 की दृष्टि का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के विचार यह ज्ञाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत सम्बन्धित के अनुसूचित निर्देशानुसार एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आइ0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जमा आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश शासन द्वारा कमाये गये विधिविधायी/अधिविधायी/साक्ष्य/नोटिफिकेशन एवं निर्देशन, प्राविधिक शिक्षा, उपरोक्त, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपरोक्त तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपरोक्त द्वारा कमाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के विवेक माध्यम होगी।
- ✓ विनियम इन प्रस्तावी पाठ्यक्रम की संस्था यदि थी आइ. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में उत्तर प्रदेश प्राविधिक संस्था का होगा और विविध रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को नई वेब साइट किया जाता है तथा साइट के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विनियम इन प्रस्तावी पाठ्यक्रम संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु साक्षात्कार प्रारंभ होने के पूर्व ए0पी0सी0आइ0 से अनुमोदन प्राप्त का परिषद कार्यवाही को उपलब्ध करना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (साक्षात्कार के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीन्यता आवाण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐड्रेसिंग दृष्टि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-व्यवस्था हेतु उपर्युक्त साक्ष्य/साक्ष्य उपलब्ध करने के साथ उचित रीकॉर्ड के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक दस्तावेज सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रासंगिक संबंधित पाठ्यक्रम को कमाये जाने हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध कमाये गये अधिलेख, भूमि-सबन्ध, कर्मचार, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संवाहन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उत्तर प्रदेश संस्था की सम्बद्धता समाप्त किया जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के इच्छित निर्देशानुसार यदि संस्था में भूमि, मकान, परीक्षाकाल, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आइ0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता

समाप्त कर दी जाएगी।

- ✓ सम्बद्धता दर्ती का अनुयायन न विनियमन करने अथवा दर्ती कर उपलब्ध विनियमन की विधि से नियमानुसार अनुयायनमात्रक कार्यावाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0सं0- वाहिगंभीष्ट सम्बद्धता2021/0538-4809

दिनांक: 05/08/2021

पताविधि:-

उपजायगीनिदेश LALSA INSTITUTE OF ENGINEERING & RURAL TECHNOLOGY, VILL & POST-  
RATAPUR, JAKHANIYA, GHAZIPIUR



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**उत्पीठम्,**

**राष्ट्रीय, पारिवारिक शिक्षा परिषद्,**

**उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या- प्राविध/परिषद् सम्बद्धता/2022/7817

सम्बद्धता दिनांक- 30/08/2022

**कार्यालय नाम-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली/कार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु विद्यार्थी स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदना पत्रण किए जाने के उपरान्त पारिवारिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विज्ञापन पत्रण किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सटीक पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विज्ञापन पत्रण किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेक मरी निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को पारिवारिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० सरकार द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार पत्रण की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4822-LALSA INSTITUTE OF ENGINEERING & RURAL TECHNOLOGY			
क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आइ०सी०टी०ई०/पी०सी०आइ०टी० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद् द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आइ०सी०टी०ई०/पी०सी०आइ०टी० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश पारिवारिक शिक्षा परिषद् एक्ट 1992 तथा पारिवारिक शिक्षा परिषद् विनियमनवली 1992, विनियमनवली-2000, सेमेस्टर विनियमनवली-2018 तथा समय-समय पर निर्गमित वासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मैसी

पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्रछात्रा से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सख्त द्वारा निर्गत निवेदों को जमा करके शासनादेश प्रेषित होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जमा आवश्यक होगा। वीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु वीस का पुनर्निर्धारण किया जाय है, तो वीस की स्वीकृति दी जाय होगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धत शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासक द्वारा निर्गत विधिविषयों/अधिविषयों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०च०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०च० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०च० द्वारा किये गये नियमों, विधियों, अदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के जिम्मेदार्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०अ०उ०वी०टी०ई०पी०सी०आइ० ही अनुमोदित निराला किया जाता है तो इस संबंध में सख्त उदाहरणिक संस्था का होगा और विधिक रूप से निजी की कार्यवाही के लिए संस्था अपने उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा निजी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अदेश निर्गत किया जाता है तो संस्थान प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सख्त द्वारा प्रवेश वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग कार्य होने के पूर्व ए०अ०उ०वी०टी०ई०पी०सी०आइ० ही अनुमोदित प्राप्त का परिषद कार्यलय को उपलब्ध करना होगा अथवा उ०च० प्रवेश की (काउन्सिलिंग के अन्तर्गत ही प्रवेश परीक्षा के अथवा पा/पीपी प्रवेश) अनुमति पत्रान लही को जावेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत स्वीकृति आक्षेप विधियों का अनुपालन करना आवश्यकता होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सखत सूचनाएं जो संस्था की वेबसाइट पर स्थित भूमि, इलाका, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिष्कार हेतु उपयुक्त साधन/साधन उपलब्ध करने के साथ शिक्षण संस्थान के सम्बन्ध में सखत आचार्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संभावित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध किये गये अमिलेख, भूमि-सखत, कर्मचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्थान संस्था की सम्बद्धत साधन निवेदों को जमा की कार्यवाही की जावेगी।
- ✓ संस्था के अधिक इमिलेख निर्देशन के दौरान यदि संस्था में भूमि, सखत, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य छात्र-संख्या ए०अ०उ०वी०टी०ई०पी०सी०आइ०परिषद के सम्बन्धना उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धत साधन न ही जावेगी।
- ✓ सम्बद्धत रक्षों का अनुपालन न किये जाने अथवा रक्षों का उल्लंघन किये जाने की विधि में नियतानुसार अनुशासन/सखत कार्यवाही की जावेगी।



(एम्प्लॉयमेंट सेल)

सचिव

पू0सं0- कॉलेजपरिषद सं0सं0/2022/78 18-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिष्ठिति-

प्रधानाचार्य/निदेशक, LALSA INSTITUTE OF ENGINEERING & RURAL TECHNOLOGY



(एम्प्लॉयमेंट सेल)

सचिव